

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा-4(1)(ख) की सूचना।

क्रमांक	बिन्दु	सूचना
1	(ख)(1)	<p>अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की संगठनात्मक विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य निम्नवत है:-</p> <p>1-अनुभाग अधिकारी - 05                  2-समीक्षाधिकारी - 14                  3-सहायक समीक्षाधिकारी - 02                  4-जूनियर ग्रेड क्लर्क/टंकक - 02                  5-अनुसेवक - 05</p> <p>अनुभाग में प्राप्त संदर्भों को पत्रावलियों में आदेशार्थ प्रस्तुत किया जाना, पत्रावलियों का रख रखाव, संदर्भों का रजिस्ट्र में दर्ज कराया जाना और पत्रावलियों में प्राप्त उच्चादेशों के अनुपालन में पत्रों/आदेशों को निर्गत करना एवं आदेशों का सामयिक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना, बैठकों से संबंधित पत्रालियों को समय से प्रस्तुत किया जाना।</p> <p><u>1-औद्योगिक विकास अनुभाग-1</u> -द्वारा सीमेन्ट कारपोरेशन/भदोही ऊलन मिल्स के छटनीशुदा कार्मिकों को समयोजन, उ०प्र० कताई मिल्स संद्यू लि० व उ०प्र० स्टेट यार्न क०, उ०प्र० स्पिनिंग क० एवं उ०प्र० राज्य वस्त्र निगम, इटप लखनऊ /नोयडा एवं बीआईएफआर से संबंधित समस्त कार्य किया जाता है।</p> <p><u>2- औद्योगिक विकास अनुभाग-2</u> द्वारा औद्योगिक विकास विभाग का समन्वय कार्य, मुख्य मंत्री के लम्बित संदर्भ/बजट कार्य/आडिट प्रस्तर/विधान सभा/परिषद प्रश्न तथा अन्य कार्य तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय से संबंधित कार्य किया जाता है।</p> <p><u>3- औद्योगिक विकास अनुभाग-3</u> द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र० एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा, लीडा, सीडा, एवं गीडा के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य सम्पादित किये जाते है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण उ०प्र० एक्सप्रेस वेज औद्योगिकविकास प्राधिकरण यूपीडा से संबंधित कार्य भी अनुभाग द्वारा किया जाता है।</p>

		<p><u>4- औद्योगिक विकास अनुभाग-4</u> द्वारा नोयडा, ग्रेटर नोयडा, गीडा, सीडा, लीडा से संबंधित कार्य किया जाता है।</p> <p><u>5- औद्योगिक विकास अनुभाग-6</u> द्वारा उ०प्र० वित्तीय निगम, पिकप एवं उद्योग बन्धु से संबंधित कार्य किया जाता है।</p> <p><u>6-अवस्थापना विकास अनुभाग-</u> इस अनुभाग द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक निजीसहभागिता (पीपीपी) के आधार पर किये जाने वाले विकास कार्यो तथा निजी निवेश संबंधीकार्यो का पर्यवेक्षण/क्रियान्वयन किया जाता है।</p>
2.	ख (2)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्य सचिवालय सेवा के कर्मचारियों की शक्तियों एवं कर्तव्य सचिवालय मैनुवल में उल्लिखित है।
3.	(ख)(3)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है, बिन्दु (1) के अनुसार
4.	(ख)(4)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान सचिवालय मैनुवल में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं निर्धारित मापदण्ड का पालन किया जाता है।
5	(ख)(5)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख बिन्दु-1 के अनुसार
6	(ख)(6)	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है, प्रवर्गों का विवरण, बिन्दु-1 में उल्लिखित विषयों से संबंधित अभिलेख।
7	(ख)(7)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है। बिन्दु-6 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
8	(ख)(8)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगा, विवरण।

		बिन्दु-1 के अनुसार
9	(ख)(9)	<b>अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका</b>
		<b>औद्योगिक विकास अनुभाग-1</b>
		अधिकारी का नाम/पद
		पता
		1- श्री विजय कुमार शंखवार, अनुभाग अधिकारी
		1/589, रुचिखंड, शारदानगर, लखनऊ
		2-विजय पाल, समीक्षाधिकारी
		ए-1469/5 इन्दिरानगर लखनऊ
		3-श्री प्रांजल रस्तोगी, कंप्यूटर सहायक
		402, रीजेंसी अवध, चौक, लखनऊ - 26003
		<b>औद्योगिक विकास अनुभाग-2</b>
		1-श्री महाबीर प्रसाद गौतम अनुभाग अधिकारी
		11/333 इन्दिरानगर, लखनऊ
		2-श्री हरीश चन्द्र, समीक्षाधिकारी
		570/94/16-ए फौजी कालोनी आजादनगर, आलमबाग लखनऊ
		3-जगदेव प्रसाद यादव, समीक्षाधिकारी
		ग्राम मोहनलाल खेडा पो०-मोहनलाल गंज लखनऊ
		4-श्री श्रवण कुमार,अनुसेवक
		घुसवलकला, पो० बरौना, नीलमथा रोड़ लखनऊ।
		<b>औद्योगिक विकास अनुभाग-3</b>
		1-श्री नीलेश कुमार सिंह,अनुभाग अधिकारी
		बीड-71 सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ
		3-श्री विनोद कुमार, समीक्षाधिकारी
		544/412, कैम्पवेल रोड बालागंज लखनऊ
		4-श्री बजरंगी मौर्या, समीक्षाधिकारी
		ई-1/295, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ
		5-श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, समीक्षाधिकारी
		ऐशबाग कालोनी लखनऊ
		6-श्री नवी अहमद, अनुसेवक
		मोमिन नगर कैम्पर रोड, बालागंज लखनऊ

औद्योगिक विकास अनुभाग-4	
1-श्री राजेंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी	1/6, टाइप-III, सचिवालय कोलोनी महानगर, लखनऊ।
2-श्री शिव कुमार, समीक्षाधिकारी	11 शुक्लाबिहार पारा राजाजीपुरम लखनऊ
3-श्री नन्द किशोर, समीक्षाधिकारी	लौगा खेडा खरिका तेलीबाग लखनऊ
4-श्रीमती सुशील कुमारी, समीक्षाधिकारी	एफ-491, राजाजीपुरम, लखनऊ 9454413991
5-श्री प्रदीप निगम, सहायक समीक्षाधिकारी	ईडी-1/320 एलडीए कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ
6-श्री नत्थूसिंह, अनुसेवक	एसएस/1979 सेक्टर एच एलडीए कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ।
औद्योगिक विकास अनुभाग-6	
1-श्री प्रेम शंकर राय, अनुभाग अधिकारी	आरएस-3/96 टिकैतराय तालाब कालोनी लखनऊ
2-श्री कुलदीप सिंह, समीक्षाधिकारी	एम-548 राजाजीपुरम लखनऊ
3-श्रीमती कंचन लाता वर्मा, समीक्षाधिकारी	635 सम्पत्ति एल्डिको फैस-2 राय बरेली रोड, लखनऊ
4-श्री के०सी०गुप्ता, समीक्षाधिकारी	प्लॉट न० 28 सरस्वतीपुरम (रामआसरे पुरवा) निकट बाबा गोरखनाथ मन्दिर, गोमतीनगर, लखनऊ।
5-श्रीमती सुषमा कुशवाहा, समीक्षाधिकारी	85/33 नटखेडा, मंकबूलगंज, लखनऊ
6-श्री संत कुमार, अनुसेवक	सूरज पल्ली, नवीन गौरी, सरोजनीनगर, लखनऊ।
अवस्थापना विकास अनुभाग	
1-श्री महाबीर प्रसाद गौतम अनुभाग अधिकारी	11/333 सी-77 महानगर, सचिवालय कालोनी, लखनऊ

		2- श्री बाल मुकुन्द्र श्रीवास्तव, समीक्षाधिकारी	एफ-5137 राजाजीपुरम लखनऊ
		3-श्री वासिफ अख्तर नोमानी, समीक्षाधिकारी	529/ग/275 कमला नेहरू नगर, रिंगरोड खुरमनगर लखनऊ।
		4-श्री तरंग जोशी, कम्प्यूटर सहायक	13 ए-1 इन्दिरानगर लखनऊ
		5-श्री अनन्तराम सिंह वरिष्ठ अनुसेवक	
10	(ख)(10)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो, इस बिन्दु पर सूचना लेखा अनुभाग( लघु उद्योग अनुभाग-3) के अभिलेखों से प्राप्त हो सकती है।	
11	(ख)(11)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:- औद्योगिक विकास विभाग के स्तर पर योजनावार बजट संलग्न विवरण के अनुसार।	
12	(ख)(12)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है। सूचना शून्य।	
13	(ख)(13)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों ,अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियों। सूचना शून्य।	
14	(ख)(14)	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों,। सूचना शून्य	
15	(ख)(15)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण दृष्टि सम्मिलित है। अनुभाग स्तर पर सूचना शून्य है।	
16	(ख)(16)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ अनुभाग हेतु श्री शिवानन्द ओझा, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक विकास अनुभाग 1 एवं 3, श्री कौशल राज शर्मा, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास अनुभाग 2 एवं	

	<p>6 तथा श्री सुमंत सिंह, विशेष सचिव, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास अनुभाग 4 एवं अवस्थापना विकास अनुभाग के अपीलीय अधिकारी तथा श्री इन्द्रसेन, अनुसचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग 2 एवं 3, श्री हरनाम, अनुसचिव, अवस्थापना अनुभाग व औद्योगिक विकास अनुभाग 4, श्रीमती चारुलता, अनुसचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग 1 एवं श्रीमती नीरजा कुरील, अनुसचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग 6 के जनसूचना अधिकारी नामित है।</p>
17	<p>ऐसे अन्य सूचना जो विहित की जाय। अनुभागों द्वारा निर्गत शासनादेशों , नियमों, विनियम,अनुदो/निर्दिशको एवं अभिलेख विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध है।</p>